

## भारत सरकार कार्यालय

## Office of the आयकर आयुक्त (छूट),

Commissioner of Income Tax (Exemptions), तृतीय तल, कैलाश हाइट्स, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर 302015

3rd Floor, Kailash Heights, La Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015

नाम	GREENSOLE FOUNDATION
Name	
पता	1426, Flora Complex, Bhuwana, Udaipur
Address	
स्थाई खाता संख्या	AAGCG4321D
PAN	
धारा 12एए के अधीन पंजीकरण की संख्या तथा	AAGCG4321D/08/2016-17/C-247/12AA,
दिनांक	dated 20.02.2017
No. & Date of Registration U/s 12AA	
धारा 80 जी के अधीन आवेदन पत्र की दिनांक	14/09/2016
Date of Application U/s 80G	
आदेश की दिनांक	20/02/2017
Date of order	
80 जी के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.	-AAGCG4321D/08/2016-17/C-248/80G
एन.)	
Unique Registration No (URN) for 80G	

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के तहत् स्वीकृति आदेश APPROVAL UNDER SECTION 80G (5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT, 1961

उपर्युक्त न्यास / सोसायटी / अलाभकारी कम्पनी / संस्थान, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अधीन पंजीकृत है। प्रमाणित किया जाता है कि दानकर्त्ता, GREENSOLE FOUNDATION, 1426, Flora Complex, Bhuwana, Udaipur. को दिये गये दान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत, धारा 80जी की उप—धारा(5) के उपबंध (i) से (v) एव उपधारा (5बी) में वर्णित शर्तों के अधीन कटौती का पात्र होगा।

The aforesaid Trust/Society/Non-profit Company/Institution is registered u/s 12AA of Income-tax Act. It is certified that donation made to \_\_\_\_\_\_\_, shall qualify for deduction u/s 80G (5)(vi) of the Income-tax Act, 1961 subject to the fulfilment of conditions laid down in clauses (i) to (v) of sub-section (5) and sub section (5B) of section 80G of the I.T. Act 1961.

2. यह स्वीकृति दिनांक 14-09-2016 से, विशेष परिस्थितियों में निरस्त किये जाने तक, अनवरत रूप से

2. यह स्वीकृति दिनांक 14-09-2016 से, विशेष परिस्थितियों में निरस्त किये जाने तक, अनवरत रूप स मान्य होगी । This approval shall be valid in perpetuity w.e.f. \_\_\_\_\_ unless specifically withdrawn

आय की वार्षिक विवरणी फॉर्म संख्या आई.टी.आर. 7 में आय व्यय खाते, प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा चिट्ठे के साथ, **आयकर अधिकारी (छूट), वार्ड.—उदयपुर** जिनके पास आपका क्षेत्राधिकार है को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी होगी।

The Return of Income in I.T.R.-7 along with the Income & Expenditure Account, Receipts and Payment Account and Balance Sheet should be submitted annually to the Incometax Officer (Exemptions), ward \_\_\_\_\_\_ having jurisdiction over the case.

A

- 4. आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर के पूर्वानुमोदन के बिना न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान, न्यास— लेख/विद्यान पत्र में परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

  No change in the Trust Deed/Memorandum of Association shall be effected without the prior approval of the Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur.
- 5. दानदाता को जारी प्रत्येक रसीद पर इस आदेश की विशिष्ट पंजीयन संख्या एवं दिनांक अंकित करनी होगी।

  Every receipt issued to a donor shall bear the Unique Registration Number (URN) and date of this order.
- 6. धारा 12एए के अधीन पंजीकृत अथवा धारा 10(23सी)(vi)/(via) इत्यादि में स्वीकृत न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को उनके द्वारा चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि की लेखा बहियां धारा 80जी (5)(i)(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत अलग से रखनी होगी तथा उक्त गतिविधि को प्रारम्भ करने के एक माह के भीतर आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर को सूचित करना होगा।

  Under the provisions of section 80G(5)(i)(a), the Trust/Society/Non-profit Company/Institution registered u/s 12A / 12AA(1)(b) or approved u/s 10(23C)(vi)/(via), etc., shall have to maintain separate books of accounts in respect of any business activity carried on and shall intimate Commissioner of Income-tax (Exemption), Jaipur within one month about commencement of such activity.
- 7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के प्रावधानों के इतर, न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान किसी प्रकार का अधिभार, शुल्क अथवा अन्य प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकेगी। No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.



हस्ता./-(मुकेश वर्मा) (Mukesh Verma) आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur

क्रमांक:— आ.आ. (छूट) जयपुर / आ.अ. (मु.) / 2016—17 / 7/97 No.CIT (E)/JPR/ITO (Hqrs.)/2016-17/ दिनांक:- 20 फरवरी, 2017 Dated: 22

प्रतिलिपि प्रेषितः / Copy to:-

्र जिथारिती / Assessee - GREENSOLE FOUNDATION, 1426, Flora Complex, Bhuwana, Udaipur

2. निर्धारण अधिकारी/Assessing Officer- The Income-tax Officer (Exemptions), ward-Udaipur.

(सुरन्द्र यादव) (Surendra Yadav)

आयकर अधिकारी (मुख्या.) Income Tax Officer (H.Qrs.)

कृते आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर

For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Jaipur